विदेश मंत्रालय

मांग संख्या 22

विदेश मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2000-2001 आयोजना	बजट 2000-2001 आयोजना-भिन्न	बजट 2000-2001 जोड़	संशोधित 2000-2001 आयोजना	संशोधित 2000-2001 आयोजना-भिन्न	संशोधित 2000-2001 जोड़	बजट 2001-2002 आयोजना	बजट 2001-2002 आयोजना-भिन्न	बजट 2001-2002 जोड़
राजस्व		345.00	1875.70	2220.70	349.20	2006.71	2355.91	272.00	2263.73	2535.73
पूंजी		*230.00*	*175.02*	*405.02*	*200.80*	*164.01*	*364.81*	*148.00*	*199.66*	*347.66*
जोड़		**575.00**	**2050.72**	**2625.72**	**550.00**	**2170.72**	**2720.72**	**420.00**	**2463.39**	**2883.39**
1. सचिवालय - सामान्य सेवाएं	2052	...	101.50	101.50	...	111.70	111.70	...	120.31	120.31
2. *विदेश कार्य*										
2.01 राजदूतावास और मिशन	2061	...	674.75	674.75	...	727.01	727.01	...	756.09	756.09
2.02 पासपोर्ट और उत्प्रवास	2061	...	88.41	88.41	...	95.96	95.96	...	98.47	98.47
2.03 प्रशिक्षण	2061	...	1.50	1.50	...	1.25	1.25	...	1.58	1.58
2.04 विशेष राजनयिक व्यय	2061	...	515.00	515.00	...	560.00	560.00	...	711.85	711.85
2.05 अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन/बैठकें	2061	...	1.00	1.00	...	0.18	0.18	...	1.00	1.00
2.06 मनोरंजन प्रभार	2061	...	19.00	19.00	...	21.00	21.00	...	23.00	23.00
2.07 बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण	2061	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2.08 अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	2061	...	31.14	31.14	...	32.27	32.27	...	35.28	35.28
2.09 अन्य व्यय										
(क) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद को अनुदान	2061	...	39.00	39.00	...	39.65	39.65	...	40.00	40.00
(ख) युद्ध/नागरिक अशांति के कारण भारतीयों का विस्थापन	2061	...	0.13	0.13	...	0.13	0.13	...	0.13	0.13
(ग) भारत-फ्रांस मंच	2061	...	0.40	0.40	...	0.40	0.40	...	0.42	0.42
(घ) अन्य विविध मदें	2061	...	17.34	17.34	...	49.55	49.55	...	38.52	38.52
जोड़-अन्य व्यय		**...**	**56.87**	**56.87**	**...**	**89.73**	**89.73**	**...**	**79.07**	**79.07**
जोड़-विदेश कार्य		*...*	*1387.67*	*1387.67*	*...*	*1527.40*	*1527.40*	*...*	*1706.34*	*1706.34*
3. विविध सामान्य सेवाएं - मुद्रा हानि	2075	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
4. नौवहन-सामान्य-भारतीय नौवहन निगम को भुगतान	3052	...	0.01	0.01	...	...	...	...	...	...
5. नागर विमानन-सामान्य अन्य व्यय	3053	...	0.01	0.01	...	...	...	...	...	...
6. अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग और विदेशी सरकारों को अग्रिम										
(i) बंगलादेश	3605	...	10.00	10.00	...	8.75	8.75	...	9.00	9.00
	7605	...	75.00	75.00	...	75.00	75.00	...	105.45	105.45
	जोड़	*...*	*85.00*	*85.00*	*...*	*83.75*	*83.75*	*...*	*114.45*	*114.45*
(ii) भूटान	3605	345.00	200.00	545.00	349.20	200.00	549.20	272.00	210.00	482.00
	7605	230.00	...	230.00	200.80	...	200.80	148.00	...	148.00
	जोड़	*575.00*	*200.00*	*775.00*	*550.00*	*200.00*	*750.00*	*420.00*	*210.00*	*630.00*
(iii) नेपाल	3605	...	65.00	65.00	...	62.00	62.00	...	109.00	109.00
	7605	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
	जोड़	*...*	*65.01*	*65.01*	*...*	*62.01*	*62.01*	*...*	*109.01*	*109.01*
(iv) श्री लंका	3605	...	14.50	14.50	...	11.00	11.00	...	16.00	16.00
(v) मालदीव	3605	...	10.00	10.00	...	8.00	8.00	...	8.75	8.75
(vi) म्यांमार	3605	...	23.50	23.50	...	19.15	19.15	...	20.75	20.75
(vii) अन्य विकासशील देश	3605	...	55.00	55.00	...	51.59	51.59	...	56.10	56.10
	7605	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*...*	*55.00*	*55.00*	*...*	*51.59*	*51.59*	*...*	*56.10*	*56.10*
(viii) अफ्रीकी देशों को सहायता	3605	...	7.00	7.00	...	5.00	5.00	...	5.25	5.25
(ix) मध्य एशिया	3605	...	1.50	1.50	...	2.11	2.11	...	2.22	2.22
	जोड़	*575.00*	*461.51*	*1036.51*	*550.00*	*442.61*	*992.61*	*420.00*	*542.53*	*962.53*
7. लोक निर्माण कार्य	4059	...	70.00	70.00	...	64.00	64.00	...	67.20	67.20
8. आवास	4216	...	30.00	30.00	...	25.00	25.00	...	27.00	27.00
9. विविध ऋण (विभागीय कैंटीनों को ऋण)	7615	...	0.01	0.01	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़		***575.00***	***2050.72***	***2625.72***	***550.00***	***2170.72***	***2720.72***	***420.00***	***2463.39***	***2883.39***

ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
केन्द्रीय आयोजना	13605	575.00	...	575.00	550.00	...	550.00	420.00	...	420.00

1. **सचिवालय** - इसमें विदेश मंत्रालय के सचिवालय तथा विदेशों में प्रचार कार्य पर होने वाले व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।

2. **विदेश मामले**

2.01 **राजदूतावास तथा मिशन** - इसमें विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 156 मिशनों/केंद्रों के लिए व्यय का प्रावधान किया गया है।

2.02 **पासपोर्ट और उत्प्रवास** - सं.अ. 2000-01 तथा ब.अ. 2001-02 में वृद्धि मुख्य रूप से पासपोर्ट पुस्तिकाओं की बढ़ी हुई लागत, नए खोले गए पासपोर्ट कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम, पासपोर्ट पुस्तिकाओं की बढ़ी हुई लागत तथा नए खोले गए पासपोर्ट कार्यालयों/संग्रहण केन्द्रों के कारण बढ़े हुए व्यय, वर्धित किरायों आदि की पूर्ति के लिए है।

2.03 **प्रशिक्षण** - इस शीर्ष के अंतर्गत विदेश सेवा संस्थान द्वारा भारतीय और विदेशी राजनयिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रावधान किया गया है।

2.04 **विशेष राजनयिक व्यय** - इसमें विवेकाधीन व्यय का प्रावधान किया गया है।

2.08 **अंतर्राष्ट्रीय सहयोगः** इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ तथा इसकी एजेंसियों, राष्ट्रकुल सचिवालय, राष्ट्रकुल फाउंडेशन, सार्क सचिवालय को किए जाने वाले अनिवार्य अंशदान के लिए प्रावधान किया गया है। प्रमुख विदेशी मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपए के संभावित मूल्यह्रास के कारण रुपए में अंशदान में होने वाली वृद्धि के कारण बढ़ोतरी की गई है।

2.09 **अन्य व्ययः** इसमें पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं के सीमांकन, उप-राष्ट्रपति के विदेशी दौरों, हज सद्भावना प्रतिनिधिमण्डलों, विदेश मंत्रालय के होस्टलों, विभिन्न संस्थाओं को अनुदान सहायता, विदेशों में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोहों आदि के लिए प्रावधान शामिल हैं। इसमें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आई.सी.सी.आर) हेतु चालू वर्ष के लिए 39.65 करोड़ रुपए और अगले वित्तीय वर्ष के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है । आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंग्डम में भारतीय इतिहास एवं संस्कृति पर एक पीठ स्थापित करने, विक्टोरिया एवं अल्बर्ट संग्रहालय, लंदन में भारतीय खंड स्थापित करने, भारत-ब्रिटेन तथा भारत-यूरोपीय संघ के गोल मेज सम्मेलन पर व्यय तथा भारतीय विश्व मामला परिषद को अतिरिक्त अनुदान देने के लिए भी प्रावधान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांतिरक्षा प्रशिक्षण पर व्यय के लिए भी प्रावधान किया गया है।

3. **मुद्रा हानि :** इस शीर्ष के अंतर्गत एक करेंसी से दूसरी करेंसी में रूपांतरण करने आदि के कारण विदेश स्थित हमारे मिशनों/चौकियों द्वारा उपगत निवल हानि के लिए प्रावधान किया गया है। चूंकि आवश्यकता का सही अनुमान लगाना संभव नहीं है इसलिए इस शीर्ष के अंतर्गत केवल सांकेतिक प्रावधान किया गया है।

6. **अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग** : यह प्रावधान विभिन्न द्विपक्षीय करारों तथा अन्य विशेष कार्यक्रमों के तहत पड़ोसी और अन्य विकासशील देशों को तकनीकी और आर्थिक सहायता देने के लिए किया गया है। इस प्रावधान में आपदा राहत अनुदान के लिए प्रावधान भी शामिल है।

विदेशी सरकारों को अग्रिमः यह प्रावधान बंगलादेश तथा भूटान की सरकारों को इन देशों में विकासात्मक कार्यों के लिए क्रमशः साख/ऋण श्रृंखला प्रदान करने के लिए किया गया है।

7. **लोक निर्माण एवं आवासन** : यह प्रावधान मुख्य रूप से विदेशों में रिहायशों एवं कार्यालयों के अधिग्रहण/निर्माण तथा रख-रखाव के लिए है।